हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद,1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा:

2. प्रश्नोत्तर:

    (1) तारांकित:

    (i) स्थगित
    (ii) दिन के लिए
    } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

    (2) अतारांकित:

    (i) स्थगित
    (ii) दिन के लिए
    } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 4); और

(2) हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 5) ।

4. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-1/2020 दिनांक 09.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:पब-ए(3)-2/2020 दिनांक 17.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2020 को प्रकाशित ।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री,** जे0 पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, सहायक निदेशक कारखाना(रसायन/यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-2/2019(स्था.) दिनांक 13.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.07.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1966 की धारा 19(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम कल्याण अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: श्रम (ए)4-5/2019(स्था0) दिनांक 20.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2020 को प्रकाशित ।

(5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या: ई.डी.एन.-ख-ख(16)-11/2019 दिनांक 08.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(6) **श्री राकेश पठानिया, वन मन्त्री,** कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमैंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

5. अध्यादेश:

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.04.2020 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.05.2020 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, **ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, **कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे ।

6. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17) (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या:3.12 व 3.13 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री बलबीर सिंह,सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2020-21),** समिति का **25वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत **"विधवा एकल नारी/परित्यक्ता/पैंशन योजना"** से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

7. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को पारित **हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14)** को वापिस लिया जाये ।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **श्री रमेश चंद ध्वाला,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"**रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर** यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री बलबीर सिंह**, प्रस्ताव करेंगे कि:

"**प्रदेश में लोक मित्र केन्द्रों में हो रही धोखाधड़ी** पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 8 सितम्बर, 2020 सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)